



भा.वा.अ.षि.प.-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान
(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्)
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्थान)
डाकघर-कृषि उपज मण्डी, न्यू पाली रोड, जोधपुर-342005

I.C.F.R.E.-ARID FOREST RESEARCH INSTITUTE

(Indian Council of Forestry Research & Education,
An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forests & Climate change, Govt. of India)
PO: Krishi Upaz Mandi, New Pali Road, Jodhpur - 342 005
Tel. No. 0291-2722549 (O)/2722764 (Fax)



क्रमांक 64 /शुवअसं/सुएवंसेप्र/ भंडार /185(II)/2026

दिनांक: 21/09/2026

घास नीलामी की सूचना एवं शर्तें

भा.वा.अ.षि.प. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी) के भूखण्ड संख्या 729 परिसर एवं विभिन्न प्रायोगिक क्षेत्रों में उगी घास की खुली नीलामी हेतु नीलामी दिनांक 23.09.2026 को अपराह्न 3.00 बजे सामुदायिक भवन (नीलामी स्थल) में होनी है। इच्छुक व्यक्ति जो नीलामी में भाग लेना चाहते हो वे मौके पर व्यक्तिशः उपस्थित रहकर रुपये 2000.00 धरोहर राशि नकद जमा करवा कर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्व साधारण से अनुरोध है कि बोली लगाने से पहले संबंधित जगहों पर उगी घास का मौका मुआयना हेतु कार्यालय समय प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.30 बजे तक श्री जुगल किशोर गौड़, वन रक्षक मोबाईल नम्बर 8386003113 संपदा प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं। नीलामी की प्रक्रिया निम्नलिखित शर्तों के साथ नीलामी स्थल पर उपस्थित समिति के समक्ष की जायेगी:-

नीलामी की शर्तें:-

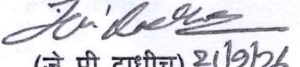
1. नीलामी में भाग लेने के लिए दिनांक 23.09.2026 को दोपहर 3.00 बजे से भाग ले सकते हैं। सफल क्रयकर्ता की धरोहर राशि घास काटने के आदेश की तिथि समाप्त होने के बाद ही लौटायी जायेगी। असफल बोलीदाताओं को धरोहर राशि बोली प्रक्रिया समाप्ति पर ही लौटा दी जायेगी।
2. सफल क्रयकर्ता को कुल राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के पक्ष में बना कर दिनांक: 25.09.2026 को दोपहर 3 बजे तक को कार्यालय समय में निदेशक, शुवअसं, जोधपुर के पक्ष में बना कर लेखा शाखा में रसीद प्राप्त कर भंडार अनुभाग में रसीद जमा करवाने पर कार्यदिश जारी किया जायेगा। घास नीलामी की पूरी रकम जमा होने के बाद घास काटने का आदेश जारी कर दिया जायेगा।
3. सफल बोलीदाता द्वारा कुल राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांक 25.09.2026 को दोपहर 3 बजे तक को कार्यालय समय में भंडार में जमा नहीं करवाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। प्रत्येक क्षेत्र की घास के लिए अलग अलग बोली प्रस्तुत करनी होगी।
4. जिन क्षेत्रों में घास कटाई का आदेश दिया जाएगा, उन्हें एक किनारे से आरम्भ कर समान रूप से सभी प्रकार की घास को जड़ के पास से काटते हुए आगे बढ़ना होगा। छोड़-छोड़ कर घास काटने की अनुमति नहीं होगी।
5. घास काटने के औजार एवं घास को ले जाने के साधन की व्यवस्था क्रयकर्ता को स्वयं करनी होगी।
6. भंडार अधिकारी द्वारा कार्यदिश जारी किया जायेगा और कार्यदिश के दिन से 45 दिन की अवधि तक घास की कटाई पूरी करनी होगी। कटाई एवं ले जाने के संबंध में समयावधि बढ़ाई नहीं जाएगी।
7. घास काटने का समय प्रातः 7.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक रहेगा।
8. घास नीलामी के क्षेत्रों में केवल घास काटने की ही इजाजत दी जाएगी व मवेशी चराने की इजाजत नहीं होगी। वहां उगे पेड़-पौधों को कोई नुकसान नहीं किया जायेगा, अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवेकानुसार क्षतिपूर्ति बतौर जुर्माना वसूल किया जाएगा। जिसमें जमानत राशि जब्त किया जाना भी सम्मिलित होगा। साथ ही भविष्य में होने वाली घास नीलामियों में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।
9. आवासीय परिसरों में से घास काटने के पूर्व वहां के रहवासी को सूचित करना होगा।
10. सभी प्रायोगिक क्षेत्रों में संबंधित प्रभागों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की उपस्थिति में घास काटी जायेगी।

11. घास की नीलामी की आमंत्रित दर को स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये निविदा निरस्त करने, नीलामी निरस्त करने एवं आगे बढ़ाने का अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित है।

12. नीलामी के लिए समिति द्वारा निर्धारित नयी न्यूनतम दरे (पुरानी दरों से 20% कम) निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	घास का विवरण "जहाँ है जैसा है के आधार पर"
1.	729 आवसीय परिसर (नयी न्यूनतम दर 3600.00)
2.	वन संरक्षण प्रभाग (नयी न्यूनतम दर 3200.00)
3.	वन आनुवंशिकी प्रभाग रोहिडा प्रा. क्षेत्र (नयी न्यूनतम दर 2400.00)
4.	वन आनुवंशिकी प्रभाग बबूल प्रा. क्षेत्र (नयी न्यूनतम दर 5,600.00)
5.	वन पारिस्थितिकी एवं जलवायु परिवर्तन प्रायोगिक क्षेत्र (नयी न्यूनतम दर 16,800.00)

13. प्रभागाध्यक्ष, सुविधाएं एवं सेवाएं प्रभाग के अनुमति से जारी।


(जे पी दाधीच) 21/9/26

भंडार अधिकारी
सुविधाएँ एवं सेवाएँ प्रभाग
भावाअशिप-शु.व.अ.सं., जोधपुर

प्रति सूचनार्थ:-

- 1 आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भा.वा.अ.शि.प. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर-नियत तिथि एवं समय पर राशि जमा करने हेतु लेखा शाखा के किसी कार्मिक की उपस्थिति सुनिश्चित कराये।
- 2 प्रभारी अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, भा.वा.अ.शि.प. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- आप से अनुरोध है कि सूचना को वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 3 श्री जुगल गौड़, वनरक्षक व श्री अक्षय कुमार, वन रक्षक द्वारा गोशालाओं तथा संस्थान के आसपास के प्रायोगिक क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को घास नीलामी बोली की सूचना प्रपत्र by hand 22.09.2026 तक प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
- 4 श्री जुगल किशोर गौड़, वनरक्षक, सम्पदा प्रकोष्ठ
- 5 श्री अक्षय कुमार, वनरक्षक, क्रय अनुभाग
- 6 नोटिस बोर्ड, भंडार अधिकारी
- 7 गार्ड संचिका